न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या :– 33/2016

प्रार्थी

देवीलाल उर्फ फतहलाल पुत्र आईदान, जाति केला माहेश्वरी, निवासी ग्राम तेना, कांकरियों का बास, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. रामस्वरूप पुत्र मगराज उर्फ आज्ञाराम, जाति केला माहेश्वरी।
2. अशोक कुमार उर्फ देवी लाल पुत्र मगराज उर्फ आज्ञाराम, जातियान केला, निवासी ग्राम तेना, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
3. सरपंच ग्राम तेना तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत आदेश सरपंच ग्राम तेना, के संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.09.2004 एवं तत्पश्चात् मिसल संख्या 18/2004–05 में पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.11.2004 को जारी किया गया के विरूद्ध पेश की है।

उपस्थित

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री भरत बूब उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री सुशील सोंलकी उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री पी0 सी0 सिंघवी उपस्थित।

–:निर्णय:– **दिनांक :–10.07.2019**

प्रार्थी अभिभाषक ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत आदेश सरपंच ग्राम तेना, के संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.09.2004 एवं तत्पश्चात् मिसल संख्या 18/2004–05 में पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.11.2004 को जारी किया गया को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि स्वर्गीय बलदेवराम ग्राम तेना में रहते थे। उनके चार पुत्र श्रीराम, प्रेमराज, आईदानराम व मगराज थे। स्वर्गीय बलदेवराम का संयुक्त परिवार था और उनकी संयुक्तरूप से सम्पत्ति भी थी। स्वर्गीय बलदेवराम का देहान्त वर्ष 1989 से पूर्व हो चुका था, उनका देहान्त होने के बाद उनके सभी वारिसानों ने आपसी सहमति व रजामन्दी से स्वर्गीय श्री बलदेवराम की सम्पत्ति के लिए आपस में बंटवाड़ा कर लिया। जिसमें श्रीराम, प्रेमराज व आईदान ने अपना हिस्सा एक साथ प्राप्त कर लिया एवं श्री मगराज को पूर्व में स्वर्गीय बलदेवराम के जीवनकाल में ही अलग हो गए थे। उन्होनें अपने हिस्से के रूप में अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया था। उनके हिस्से में एक भूखण्ड जो ग्राम तेना तहसील शेरगढ़ में था। जो प्राप्त कर लिया गया। इसके बाद स्वर्गीय श्री मगराज ने अपने पिता की उपरोक्त सम्पत्ति को प्राप्त करने के बाद पुश्तैनी बताते हुए ग्राम पंचायत तेना से दिनांक 05.11.2004 को पट्टा प्राप्त कर लिया था।

स्वर्गीय बलदेवराम की अन्य सम्पत्तिया जो श्रीराम, प्रेमराज एवं आईदानराम के हिस्से में आई थी, उसमें एक अन्य भूखण्ड जो ग्राम तेना में था उस भूखण्ड के लिए श्रीराम व प्रेमराज की सहमति से उस भूखण्ड का आवासीय पट्टा विलेख आईदान के नाम से दिनांक 05.11.2004 को प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार स्वर्गीय मगराजजी के जीवनकाल में अपने हिस्से बंटवाड़े को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया गया था परन्तु उनकी मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री अशोक कुमार उर्फ देवीलाल जो स्वर्गीय मगराज का पुत्र है उनके द्वारा बिना किसी कारण से पूर्व में हुए बंटवाड़े को नकारते हुए माननीय न्यायालय में एक पंचायत निगरानी प्रस्तुत की जिसमें पुश्तैनी जायदाद बाबत् किसी प्रकार का कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ। निगरानीधीन पट्टा गलत गैर कानूनी एवं अवैध रूप से जारी किया है। जिसको जारी करने के लिए किसी भी प्रकार की न्याय प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत तेना द्वारा मिसल संख्या 18/2004–05 दिनांक 05.11.2004 जो ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.09.2004 को पारित किया गया। उक्त पट्टे को निरस्त करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में अवगत कराया कि निगरानीधीन पट्टे की विवादित संपत्ति स्व0 बलदेवदास की है। बलदेवदास का पुत्र आईदान जो कि प्रार्थी के पिता है जो जीवित है और बलेदव की इस संपत्ति बाबत् एतराज करने का हक, उत्तराधिकारी अधिनियम के नियमानुसार प्रथम वारिसों में आईदान को है अतः स्वर्गीय बलेदव की संपत्ति बाबत् एतराज करने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है और प्रार्थी को यह निगरानी करने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से जवाब लेने का अधिकार नहीं रखता। प्रार्थी स्वयं लिखित में वर्णन कर रहा है कि बलेदव ने अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता मगराज को विवादित संपत्ति बंट में दी थी। इसके पश्चात् स्वर्गीय मगराज को अपने पिता से उपरोक्त संपत्ति को प्राप्त करने के बाद पुश्तैनी बताते हुए ग्राम पंचायत तेना से दिनांक 05.11.2004 को पट्टा प्राप्त कर लिया। बलदेव अपने जीवनकाल में स्वयं द्वारा अर्जित रूपये से खरीदी हुए जमीन का अन्तरण करने का नियमानुसार स्वतंत्र हक था। अतः अपने पुत्र मगराज को कुल 4360 वर्ग फुट संपत्ति का अन्तरण किया जो सही है। अतः ग्राम पंचायत तेना द्वारा पंचायतीराज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप व उनकी पालना करते हुए मगराज पुत्र बलदेवदास को जारी पट्टा विधिसमत् है। इस निगरानी ने प्रार्थी ने अपना नाम देवीलाल उर्फ फतेहलाल बताया है इस आशय का कोई सक्षम प्रमाण इस निगरानी में संलग्न नहीं है। वास्तव में देवीलाल उर्फ फतेहलाल एक व्यक्ति नहीं है। दोनों अलग–अलग व्यक्ति है। प्रार्थी ने कूटनीति से इस निगरानी के जरिये इस नाम से सुनवाई करवाकर अपने आप को देवीलाल उर्फ फतेहलाल प्रमाणित करवाना चाहता है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में यह भी अवगत कराया कि बलदेवदास पुत्र जेठमल के चार पुत्र श्रीराम, प्रेमराज, आईदान व मगराज थे। इनमें से आज पीटीशनर आईदान जीवित है। बलदेवजी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पत्ति का मौखिक बंटवाड़ा भी कर दिया था। अतः मगराज पुत्र बलदेवदास को जारी पट्टा में किसी प्रकार की कोई अनियमितता ग्राम पंचायत तेना द्वारा नहीं बरती गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में यह कथन किया कि प्रस्तुत निगरानी में प्रार्थी द्वारा वर्णित सभी वाक्यांश से स्पष्ट है कि प्रार्थी बंटवाड़े से पीड़ित है। अतः

पक्षकारों के बीच आपसी बंटवाड़े में लेनदेन का मामला है और न्यायहित में बंटवाड़ा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में यह भी अवगत कराया कि न्यायहित में निगरानी नियमानुसार हितबद्ध/व्यथित व्यक्ति ही आपके न्यायालय में पेश करने का अधिकार रखता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में हितबद्ध/व्यथित व्यक्ति नहीं है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका दायर करते समय स्व0 मगराज के आवश्यक वारिसानों को रेकर्ड पर नहीं लाया गया है। उक्त निगरानी संकल्प संख्या 4 के विरूद्ध निगरानी आपके न्यायालय में पेश की है। निगरानी प्रस्तुत करते समय संकल्प संख्या 4 की प्रमाणित प्रतिलिपि निगरानी के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है जो नहीं की गई। प्रस्तुत निगरानी में परिसीमा को प्रतिबाद्धित करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने बताया कि निगरानीधीन संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.09.2004 कानूनी प्रावधानों के विपरीत है।

अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम तेना की आबादी भूमि में दिनांक 05.11.2004 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता मगराज पुत्र बलदेवदास के नाम पट्टा विलेख संख्या 24 जारी करते समय उसक हितों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उक्त प्रक्रिया का कोई एतराज नहीं किया गया। प्रार्थी लगभग 4208 दिनों के बाद बंटवाड़े में आपसी लेनदेन बाबत् यह निगरानी प्रस्तुत की है। निगरानीधीन पट्टे से विवादित पुराने गृह वाली संपत्ति स्व0 बलदेवदास की थी। बलदेवदास का पुत्र आईदान जो प्रार्थी का पिता है वह जीवित है। इस लिखित बहस में यह भी कथन किया कि देवीलाल उर्फ फतेहलाल के नाम से निगरानी माननीय न्यायालय में पेश है व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अशोक कुमार द्वारा सरकारी सक्षम प्रमाणों में दो पंजीयन रजिस्ट्री की सत्यापित प्रतिलिपिया माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रमाणित किया कि एक ही पंजीयन कार्यलय में एक ही दिन में एक ही समय में अलग–अलग दो नाम से दो रजिस्ट्री का पंजीयन हुआ। एक रजिस्ट्री में देवीलाल पुत्र आईदान एवं दूसरी रजिस्ट्री में फतेहलाल पुत्र आईदान दर्ज है। इस प्रकार देवीलाल पुत्र आईदान व फतेहलाल पुत्र आईदान दो अलग–अलग व्यक्ति है। अतः प्रार्थी द्वारा कूटरचित की भावना से उक्त निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त करने योग्य होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में यह भी कथन किया कि बलदेवदास पुत्र जेठमल के चार पुत्र श्रीराम, प्रेमराज, आईदान व मगराज हुए इनमें से आज दिन सिर्फ प्रार्थी के पिता आईदान जीवित है। श्री बलदेवदास ने अपने जीवनकाल में अपनी चल व अचल संपत्ति का मौखिक रूप से चारों पुत्रों में बंटवाड़ा कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पंचायत तेना द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। प्रार्थी न्यायालय में झूठे कथनों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य होना बताया।

हमने प्रार्थी व अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल प्राप्त रेकर्ड का भी अवलोकन किया।

इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत काफी व्यापक है यह न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में पट्टा की वैधानिकता व औचित्य का परीक्षण करने में सक्षम है। यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि श्री मगराज पुत्र बलदेवदास केला, निवासी तेना द्वारा दिनांक 05.07.2004 को पुश्तैनी कब्जासुद के आधार पर

आबादी का पट्टा आवंटित करने का आवेदन किया तथा इसी आधार पर राजस्थान पंचायतराज नियम 167(1) के आधार पर पट्टा जारी किया जाना बताया गया है।

ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी मगराज पुत्र बलदेवदास केला, निवासी तेना द्वारा दिनांक 05.07.2004 को आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी कब्जासुद के आधार पर पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये।

ग्राम पंचायत तेना प्रार्थी मगराज पुत्र बलदेवदास केला, निवासी तेना ने नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितिकरण 50 वर्षों के दोरान बने पुराने मकानों हेतु 200/– लेकर पट्टा जारी करने का दिनांक 05.11.2004 को संकल्प सं0 4 के तहत जारी किया गया।

पंचायतराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत वर्ष 2004 में 150 वर्गगज तक पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार प्राप्त था। लेकिन ग्राम पंचायत तेना ने अप्रार्थी सं. एक को कुल 484.44 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत तेना ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अप्रार्थी निर्धारित सीमा से अधिक (484.44 वर्गगज) का जारी कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को वर्ष 2004 में 150 वर्गगज तक का पट्टा जारी करने का अधिकार था। इस प्रकार ग्राम पंचायत तेना ने मगराज पुत्र बलदेवदास केला को 334.44 वर्गगज का अधिक पट्टा नियमों के विरूद्ध जाकर जारी कर दिया। ग्राम पंचायत तेना को चाहिये था कि अप्रार्थी सं. एक को 150 वर्गगज तक 200/– रू. और उससे अधिक 334.44 वर्गगज उस समय प्रचालित बाजार दर से राशि प्राप्त कर पट्टा जारी करना चाहिये।

–:आदेशः–

यह न्यायालय उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 में दिये गये प्रावधानों के अन्तगर्त इस पट्टे की वैधानिकता, औचित्य का परीक्षण करना उचित समझता है। यह न्यायालय इस पट्टे को विधि विरूद्ध पाता है। ग्राम पंचायत को वर्ष 2004 में 150 वर्गगज तक का पट्टा जारी करने का अधिकार था। इस प्रकार ग्राम पंचायत तेना ने मगराज पुत्र बलदेवदास केला को 334.44 वर्गगज का अधिक पट्टा नियमों के विरूद्ध जाकर जारी कर दिया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी एतद् स्वीकार की जाती है। निगरानीधीन पट्टा जो ग्राम पंचायत तेना द्वारा श्री मगराज पुत्र बलदेवदास केला, निवासी तेना के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.11.2004 को निष्प्रभावी एवं खारिज किया जाता है। ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा विवादग्रस्त आबादी भूमि में पट्टा विलेख हासिल करने हेतु पुनः आवेदन करने पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए निस्तारण करें। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति के साथ प्राप्त मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर।